न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, जनपद औरैया।

CNR No. UPAU 120015152022

परिवाद संख्या–128/2022

गौरव प्रताप सिंह बनाम ध्रुव कुमार।

थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–06.07.2022

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि विपक्षी व प्रार्थी के बीच पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं तथा एक दूसरे के यहां आना–जाना है तथा वक्त जरुरत पर एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। प्रार्थी से विपक्षी ने व्यापार के लिए दिनांक 15.08.2021 से 15.10.2021 तक कुल तीन बार में 3,83,000/–रुपये उधार लिया और प्रार्थी से उक्त उधारी का समस्त रुपया 10 फरवरी 2022 तक वापस लौटाने का वादा किया। दिनांक 10.02.2022 तक उधार लिया हुआ रुपया वापस नहीं किया, तो प्रार्थी ने विपक्षी से उक्त 3,83,000/–रुपये वापस देने के लिए कहा। तब विपक्षी ने प्रार्थी को अपने सिंडिकेट बैंक शाखा बिधूना के खाता संख्या 84772600000903 से एक चैक संख्या 537043 मुव0 3,83,000/–रुपये की अपने पोस्ट डेटिड चैक दिनांक 13.05.2022 प्रदान की, जिसको प्रार्थी ने बडौदा यू.पी. बैंक शाखा बिधूना, औरैया में अपने खाता संख्या 3318229327 में भुगतान हेतु दिनांक 17.05.2022 को प्रस्तुत किया, तो प्रार्थी को दिनांक 19.05.2022 को चैक वापसी बैंक में निधि कम के साथ वापस कर दी। जिससे प्रार्थी के 3,83,000/–रुपये का भुगतान नहीं हो सका। तब प्रार्थी ने दिनांक 31.05.2022 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को पंजीकृत नोटिस प्रेषित किया, जो नोटिस विपक्षी को प्राप्त हो गया। लेकिन विपक्षी ने चैक में अंकित धनराशि हडपने व प्रार्थी का भुगतान न करने की नियत से कतई मनगढन्त व असत्य तथ्यों के आधार पर नोटिस का जबाव प्रेषित किया। विपक्षी का यह कृत्य धारा 138 एन0आई0 एक्ट0 की श्रेणी में आता है। अतः विपक्षी को धारा 138 एन0आई0 एक्ट0 के अन्तर्गत तलब कर दण्डित किये जाने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में मूल चैक एक अदद, एक किता रिटर्न मैमो बैंक आख्या, नोटिस, रजिस्ट्री रसीद व मूल चैक जमा पर्ची दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथन के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया, जिसमें परिवाद कथानक का समर्थन किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी ध्रुव कुमार के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट का अपराध बनना प्रतीत होता है। तद्नुसार विपक्षी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अतएव विपक्षी ध्रुव कुमार को अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

अभियुक्त को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 03.08.2022 को पेश हो।

अपर सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया।
JO Code No. U.P. 3738